न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 44 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 160

निगरारीकार	बनाम	गैरनिगरानीकार
शोनकी देवी पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी बुगाला तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।		1. सचिव ग्राम पंचायत अलतवा पंचायत समिति मकराना जिला डीडवाना–कुचामन। 2. ग्राम पंचायत अलतवा पंचायत समिति मकराना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अलतवा तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

पुनरीक्षण विरूध निर्णय व प्रस्ताव दिनांक 15.04.2013 व 20.03.2013 सरपंच ग्राम पंचायत अलतवा पंचायत समिति मकराना जिसके द्वारा शोनकी देवी पत्नी कानाराम जाट के नाम का आबादी भूमि में 2231 वर्ग फिट जमीन का पट्टा संख्या 22 जारी करने का प्रस्ताव लिया व पट्टा जारी किया को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थितः–

1. श्री अमराराम चौधरी वकील निगरारीकार की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 18.06.2024

अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

1. ग्राम बुगाला ग्राम पंचायत अलतवा में प्रार्थी की चल एवं अचल सम्पति स्थित है जहां पर प्रार्थीया पिछले 40–45 वर्षो से रहती है प्रार्थीया के मालिकाना हक व स्वामित्व का एक भुखण्ड स्थित है जो प्रार्थीया के हक व स्वामित्व से शुरू से ही है जिसके पडोस व नाप इस प्रकार है उतर में रामनिवास पुत्र कानाराम भूजा का नाप 62 फुट दक्षिण में बालूराम पुत्र मगलाराम जाट भूजा का नाप 57 फुट पुर्व में नरेन्द्र कुमार पुत्र अमराराम जाट भूजा का नाप 35 फुट पश्चिम में सेवाराम पुत्र दिनाराम जाति जाट भूजा का नाप 40 फुट उपरोक्त नाप व पडोस बिच का भूखण्ड प्रार्थीया के कब्जे में व प्रार्थीया व प्रार्थीया का परिवार उक्त भूखण्ड में सैकड़ो वर्षो से रहवास करते आ रहे है जिसका एक पट्टा दिनांक 15.04.2013 व प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.03.2013 के द्वारा पट्टा संख्या 22 बुक संख्या मिशल संख्या 15 / 12–13 जारी किया है जो प्रार्थीया के नाम से जारी किया है जो इसके साथ संलगन पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.20 10:42:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

2. उपरोक्त पडोस व नाप बिच में स्थित मकान व भूखण्ड का कब्जा व स्वामित्व प्रार्थीया के पास चला आ रहा है प्रार्थीया के पक्ष में पंचायत द्वारा पट्टा भी जारी कर रखा है किन्तु ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते वक्त मौके पर जाकर जांच नहीं की व मौके पर रास्ता व पडोस में काफी विभिन्नता अंकित कर पट्टा संख्या 22 दिनांक 15.04.2013 गलत बनाया जाकर प्रार्थीया को दिया गया है जो पट्टा प्रार्थीया के जमीन से मेल नहीं खाता जिसको प्रार्थीया पंचायत में लिखित में निवेदन किया की पट्टा गलत बना दिया गया है सही पट्टा जारी करने की कृपा करावे किन्तु अप्रार्थीगण ने पट्टा में कोई भी सुधार करने से स्पष्ट मना कर दिया व न्यायालय में जाने की हिदायत के साथ पट्टा वापस लोटा दिया फिर भी प्रार्थीया का मकान के फर्जी पडोस अंकित करते हूए एक फर्जी पट्टा बनाने के आशय से प्रस्ताव व रसिद संख्या अंकित कर सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर कर पट्टा संख्या 22 दिनांक 15.04.2013 बनाया है जो शुरू से ही शुन्य व फर्जी है जिसको प्रार्थीया अपने ही नाम के पट्टे को निरस्त करवाने का पुर्ण अधिकारी है उक्त फर्जी व कूट रचित पट्टा निरस्त करवाने हेतु यह पुननिरक्षण (रिविजन) याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर पेश की जा रही है जिसके निम्न लिखित आधार है।

1. सर्वप्रथम जो उक्त कथा कथित पट्टा संख्या 22 के पीछे जो नक्शा बनाया गया है उक्त नक्शे में व पडोस व नाप चोक की भूजाओं में प्रार्थीया के मकान व भूखण्ड में कोई समान्ता नहीं है उक्त पट्टे से संबन्धित कोई भी रिकोर्ड ग्राम पंचायत में मिलान नहीं खा रहा है जिस पट्टे का रिकोर्ड मिलान नहीं खाता हो व मौके व पट्टे में भिन्नता हो जिसमें ग्राम पंचायत के रिकोर्ड में व पट्टे में समान्नता नहीं पाई जाती तो उस पट्टे का अस्तित्व ही नहीं रह जाता है पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।
2. पट्टा संख्या 22 की जमीन प्रार्थीया शोनकी देवी पत्नी कानाराम जाट निवासी बुगाला के पास कहा से आई पैतृक कब्जा शुद्धा या खरिद शुद्धा या फिर कोई ग्राम पंचायत से निलामी में प्राप्त हुई यह पट्टे में कही भी अंकित नहीं किया गया है पट्टा आनन फानन में बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये ही आधा अधुरा जारी किया है जिसको निरस्त किया जाना न्यायहीत में बहुत ही जरूरी है।
3. प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.03.2013 द्वारा दिनांक 15.04.2013 को पट्टा जारी कर दिया गया है किन्तु पट्टे में तारीख दायरा कहीं नहीं बताया गया है जो कानून पडोसीयों से आपती व नोटीस चस्पानगी का समय न्यूनतम एक माह का होता है जिससे पुर्व पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है यानी पट्टेधारी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के पश्चात एक माह से पुर्व बनाया गया पट्टा [illegible] विरूद्ध है जो शुरू से शुन्य है जिसको शुन्य घोषित फरमाया जावें।
4. कथा–कथित फर्जी पट्टे में अंकित [illegible] संख्या 15 / 12 [illegible] रसिद संख्या 22 दिनांक 15.04.2013 व पट्टा संख्या 22 ग्राम पंचायत अलतवा के रिकोर्ड में उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.20 10:42:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

नहीं है जिसे भी पट्टा संख्या 22 दिनांक 15.04.2013 जो प्रार्थीया शोनकी देवी पत्नी कानाराम के नाम बना है जो प्रथम दृष्टया फर्जी व शुन्य है।

5. प्रार्थीया के मकान का जो पट्टा संख्या 22 बना है उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रार्थीया उप पंजियक कार्यालय गच्छिपुरा पहुँची जो वहा पर रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त पट्टे में आयी त्रुटी व गलतीयों का ध्यान आने पर प्रार्थीया ग्राम पंचायत में जाकर पट्टा को दुबारा बनाने का निवेदन किया तो ग्राम पंचायत ने असमर्थता जाहिर की कथा–कथित फर्जी पट्टा संख्या 22 जो शुरु से शुन्य है किन्तु भविष्य में फर्जी पट्टे की आड में प्रार्थीया को अप्रार्थीगण व अन्य लोग परेशान व हेरान करेंगे जिसको रोकने के लिए उक्त पट्टे को निरस्त करवाया जाना न्यायहीत में बहुत जरूरी है मजबुरी वंश श्रीमान के समक्ष यह रिविजन अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत पेश है।

अतः श्रीमान के समक्ष पुनरीक्षण (रिविजन) प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत अलतवा द्वारा जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 15.04.2013 जो शोनकी देवी पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी बुगाला के नाम से जारी हुआ है को अवैध व फर्जी होने से निरस्त फरमाया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टा संख्या 22 के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.03.2013 को प्रस्ताव लिया जाकर जारी किया गया है। जिसका रिकॉर्ड भी पंचायत में संधारित है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया गया है। रेफरेन्स तभी स्वीकार किया जा सकता है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा विधिक भूल की गई हो। निगरानीकार द्वारा लगभग 11 वर्ष पश्चात निगरानी प्रस्तुत की है जिसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः निगरानीकार की निगरानी आधारहीन व सारहीन होने के कारण खारीज की जाती है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 18.06.2024 को सुनाया गया।

18/6

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.20 10:42:31 IST
Reason: SelfAttested